न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 34/2022

उनवान

1. महेश कुमार यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 जरिये निदेशक विनोद गोयल पुत्र मणिशंकर गोयल निवासी अपेक्स मॉल टोंक रोड जयपुर
3 काली देवी पुत्री कन्हैयालाल
4 कौशल्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल
5 गोकुल पुत्र कन्हैयालाल
6 जडाव देवी पत्नि कन्हैयालाल
7 भरताराम पुत्र रामंकुवार उर्फ ओमकार (फौत)
7/1 कमली देवी पत्नि भरताराम
7/2 धारू पुत्र भरताराम
7/3 राकेश
7/4 कालू
7/5 मुकेश
} पि0 भरताराम
8 मालरामी पुत्र बदरी
9 मीरा देवी पत्नि भैरू
10रूकमा पत्नि स्व0 बदरी (फौत)
10/1 सीता देवी
10/2 सन्तरा
10/3 काली देवी
} पुत्रियाय बद्री उर्फ बदरी
11 रामकरण पुत्र कन्हैया लाल
12 रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल
13 राहुल पुत्र भैरू
14 रोहिताश पुत्र भैरू
15 समदा पुत्र सुजा (फौत)
15/1 समरती पत्नि समदा
15/2 संज्या पत्नि पांचू पुत्र समदा
15/3 सन्तोष
15/4 किशन
15/5 उमेश
} पुत्र पांच पुत्र समदा
15/6 टीना पुत्र पांचू पुत्र समदा
15/3 से 15/6 नाबालिंग जरिये सरंक्षक माता संज्यादेवी पतिन पांचू पुत्र समदा
16 सुमेरा देवी पुत्री भैरू
17 साधूराम पुत्र भूरा
18 हरि पुत्र भैरू
समस्त जाति गुर्जर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 8-8-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 8753/1568 रकबा 0.31 है0, वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है , जिस पर प्रार्थी कब्जा कास्त करता आ रहा है तथा आज भी काबिज है। प्रार्थी की उक्त आराजी में पडौसी काश्तकार प्रार्थी को कास्त नहीं करने देते बल्कि आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि चारो ओर से दबाते रहते है जिससे प्रार्थी व पडौसियों में लडाई झगडा होता रहता है और सीमा संबंधी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

विवाद चलता रहता है। प्रार्थी के द्वारा उप तहसीलदार मनोहरपुर के आदेश /सीमाज्ञान /39 दिनांक 28.2.2022 की पालना में प्रार्थी को अपनी भूमि का दिनांक 2.3.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया कि पत्थरगढी करने के आदेश जारी किये जावें ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 2 तथा अप्रार्थी सं0 11 व 18 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये ।शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी सं11 व 18 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा नहीं है तथा भूमि बंजड काबिल चराई है जिसके पश्चिम में नाला बहता है जिसमें से अप्रार्थी/खातेदार आते जाते रहते है, तथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान नहीं हुआ है प्रार्थी ताकत के बज पर अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में करा लिया हो तो उससे हम गैर प्रार्थीगण पाबन्द नहीं है। अन्त में अप्रार्थीगण की ओर से जाहिर किया गया कि हमारी कृषि भूमि ख0नं0 1566 में अपने बुर्जुर्गो के समय से उक्त खसरा नम्बर 8753/1566 से आते जाते रहे है अब प्रार्थी हमे भूमि मे आने जाने से वंचित करना चाहे है इसलिए इनका प्रार्थना पत्र तथा पत्थरगढी का खारिज किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं हैं तथा यह प्रश्नागत आराजी प्रार्थी के नाम गलत रूप से दर्ज की गई है । भूमि की किस्म* बंजड काबिल चराई होने से कभी भी कास्त के काम नहीं आई है। अप्रार्थी सं0 2 ने यह भी जाहिर किया कि उक्त आराजी में से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर पानी का नाला बहता आ रहा है जिससे अप्रार्थी तथा अन्य खातेदार सैकडो वर्षो से रास्ते के काम में आता रहा है। अन्त में जाहिर किया कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान के समय पडौसी व अप्रार्थी को कोई सूचना /नोटिस नहीं दिये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ताईद करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है तथा जिसका सीमाज्ञान दिनांक 2.3..2022पटवारी हल्का मनोहरपुर के द्वारा अन्य व्यक्तियों के समक्ष किया गया है तथा पडौसी कास्तकार भूमि की सींवडोल को काटते तथा दबाते रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होता रहता है इसलिए प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा हेतु पुख्ता चिन्ह कायम करने हेतु पत्थरगढी के आदेश प्रदान किया जावे । वकील अप्रार्थीगणो ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्रो में उल्लेखित विवेचन को वर्णन करते हुए जाहिर किया कि प्रश्नागत आराजी की किस्म बंजड काबिल चराई है तथा इसमें कास्त नहीं होती है प्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं है एवं इसमें से अप्रार्थीगण रास्ते के काम में लेते है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 2.3..2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।अप्रार्थीगण का यह तर्क कि किस्म बंजड काबिल चराई है तथा प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है से हम सहमत नहीं है चूंकि प्रार्थी के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है तथा उसमे कास्त व सुरक्षा हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है । अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नही किए कि बंजड काबिल चराई में कास्त नहीं होने से सीमाज्ञान/पत्थरगढी नहीं किया जा सकता साथ ही आराजी के पास से नाला होने से उक्त नाले के साथ प्रार्थीगण की भूमि भी रास्ते के काम आने से भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता हो बल्कि यदि रिकार्ड में भूमि नाला के रूप में दर्ज हो तो नाला की भूमि में से रास्ता नहीं हो सकता बल्कि भूमि नाले के रूप में ही दर्ज रहेगी । प्रश्नागत आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा जिसमें प्रार्थी कास्त करने सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने का पूर्णतः अधिकार होने से अप्रार्थीगण की आपत्ति खारिज की की जाकर प्रार्थीगण का पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. ख.नं. 8753/1566 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

0.31 है0, वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 2.3.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 8.3.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान